natural resources and afforestation to associations and funds specifically approved by the prescribed authorities.

बाल-विवाह में वृद्धि

*53. **श्री अनन्तराम देवशंकर दवे:** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान देश में बाल-विवाह जैसी सामाजिक बुराई में निरंतर वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) इस सामाजिक बुराई को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं;

(घ) क्या सरकार बाल-विवाह अवरोध अधिनियम को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए पंचायती राज स्तर पर कोई प्रणाली आरंभ करने तथा निगरानी "खेलों" की स्थापना करने का विचार रखती है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एस० आर० बोम्मई): (क) और (ख) राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो के पास उपलब्ध अनन्तिम आंकड़ों के अनुसार वर्ष 1994 और 1995 में बाल-विवाह अवरोध अधिनियम के अन्तर्गत बाल-विवाह के क्रमशः 122 और 159 मामले दर्ज किये गये। इन मामलों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार संख्या तथा वर्ष दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर प्रस्तुत है। (नीचे देखिए)

(ग) सरकार ने बाल-विवाह अवरोध (संशोधन) अधिनियम, 1978 पारित किया है जिसमें लड़कों के लिये विवाह की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और लड़कियों के लिये 18 वर्ष निर्धारित की गयी है। इस अधिनियम का कार्यान्वयन राज्य सरकारों का दायित्व है। विधायी उपायों के अलावा सरकार ने इलैक्ट्रॉनिक और अन्य प्रचार माध्यमों के जरिये देश में बाल-विवाह के विरुद्ध जन-प्रचार कार्यक्रम तेज कर दिये हैं। छोटी आयु में विवाह करने और उसके फलस्वरूप छोटी आयु में ही गर्भधारण से बालिका के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों के बारे में स्वैच्छिक अभिकरणों तथा विश्वविद्यालयों के माध्यम से कार्यान्वित किये जा रहे जागरूकता विकास कार्यक्रमों के अन्तर्गत सामाजिक चेतना जागृत की जा रही है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण

वर्ष 1994-95 के दौरान बाल-विवाह अवरोध अधिनियम के उल्लंघन के मामले

(राज्य और संघ राज्य क्षेत्रवार)

क्र०सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1994	1995
	राज्य		
1.	आन्ध्र प्रदेश#	अ	1
2.	अरूणाचल प्रदेश	0	0
3.	असम	0	0
4.	बिहार*	24	2
5.	गोवा	0	0
6.	गुजरात	42	31
7.	हरियाणा	1	0
8.	हिमाचल प्रदेश	6	8
9.	जम्मू और कश्मीर	3	0
10.	कर्नाटक	4	7
11.	केरल	2	5
12.	मध्य प्रदेश	4	0
13.	महाराष्ट्र	3	11
14.	मणिपुर	0	0
15.	मेघालय	4	3
16.	मिजोरम	0	0
17.	नागालैण्ड	0	0
18.	उड़ीसा	0	1
19.	पंजाब	0	0
20.	राजस्थान*	18	11
21.	सिक्किम	0	0
22.	तमिलनाडु	0	4
23.	त्रिपुरा	0	0
24.	उत्तर प्रदेश	5	79
25.	पं० बंगाल	0	0
	कुल (राज्य)	122	158
	संघ राज्य क्षेत्र		
26.	अण्डमान और निकोबार दीपसमूह	0	0
27.	चण्डीगढ़	0	0

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1994	1995
28.	दादरा और नगर हवेली	0	0
29.	दमन और दीव	0	1
30.	दिल्ली	0	0
31.	लक्षद्वीप	0	0
32.	पांडिचेरी	0	0
	कुल (संघ राज्य क्षेत्र)	0	1
	कुल (अखिल भारत)	122	159

स्रोतः मासिक अपराध आंकड़े

टिप्पणी: 1. आंकड़े अनन्तिम है।

2. बिहार, राजस्थान, दमन और दीव के आंकड़े उपलब्ध न होने के कारण क्रमशः मई, अक्टूबर और नवम्बर, 1995 तक ही है।

3. आन्ध्र प्रदेश के आंकड़ों में अक्टूबर और नवम्बर, 1995 के आंकड़े शामिल नहीं है।

Railway enquiry system at Visakhapatnam Railway Station

*54. DR. MOHAN BABU:

DR. Y. LAKSHMI PRASAD:

Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether a fast and accurate railway enquiry system is being introduced at Visakhapatnam Railway Station;

(b) if so, the details thereof; and

(c) by when this computerised system will start functioning?

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI RAM VILAS PASWAN): (a) to (c) An Interactive Voice Response System (IVRS) for giving computer generated response regarding running of passenger carrying trains has already been installed at Visakhapatnam. This system provides a direct telephonic interface of the person making enquiry with the computerised system Such a person is guided and prompted to provide relevant details of the enquiry to the system to enable it to give the requisite reply. This is in addition to the enquiries regarding running of passenger carrying trains being answered by the enquiry clerks on telephone or in person.

Study on the use of wood fuel

*55. SHRI V. HANUMANTHA RAO: Will the Minister of ENVIRONMENT AND FORESTS be pleased to state:

(a) whether any study been done by the Government on the economics of wood fuel in the agricultural sector; and

(b) if so, when was it done and what are the details of such a study?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS (CAPT. JAI NARAIN PRASAD NISHAD): (a) and (b) No such study has been done by Government in the Ministry of Environment & Forests but information from other Ministries is being collected and it will be placed on the Table of the House.

Granting of Environmental clearance

*56. SHRI PARMESHWAR KUMAR AGARWALLA: Will the Minister of ENVIRONMENT AND FORESTS be pleased to state:

(a) the procedure for granting environmental/fores/site clearance before grant of mining leases by State Government;

(b) whether any guidelines have been framed for processing of such applications;

(c) if so, the details thereof and if not, the reasons therefor;

(d) the average time taken for according clearance of mining applications;

(e) whether there is any time stipulation for processing of such applications at various stages, and for ultimate accord of clearance, if so, the details thereof; and

(f) if not, in what manner delays at various stages are minimised and how it is ensured that clearance is accorded in a time-bound manner?